15

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / बजट / बी–4 / 25577 / 2020–21 दिनांक :–02.04.2020

समस्त आहरण वितरण अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा विभाग
....

विषय :– वर्ष 2020–21 के लिए विस्तृत मद 01–संवेतन में बजट प्रावधान आवंटन के सम्बन्ध में संशोधित दिशा निर्देश।

प्रसंग :– वित्त विभाग का परिपत्र
1. क्रमांक एफ.1(4)एफ.डी. / जी.एफ.एण्ड ए.आर. / 2006 दिनांक 02.04.2020 एवं
2. क्रमांक प.3(1)वित्त–1(1)आ.व्य. / 2004 पार्ट 1 दिनांक 02.04.2020

———0———

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.04.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए संवेतन उपमद में विभाग के सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन जारी करते हुए वित्त विभाग के पूर्व परिपत्र दिनांक 27.03.2020 एवं 31.03.2020 के अनुसार कोविड–19 के लिए वेतन में की जाने वाली कटौती तथा Deferment वेतन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे।

चूंकि वित्त विभाग द्वारा अपने प्रासंगिक आदेशों के द्वारा Deferment किए जाने वाले वेतन तथा कोविड–19 के लिए वेतन से की जाने वाली कटौती के सम्बन्ध में संशोधित आदेश जारी किए गए हैं जिनकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। अतः विभाग द्वारा जारी किए गए बजट से अधिनस्थ शिक्षकों एवं कार्मिकों का माह मार्च, 2020 का वेतन वित्त विभाग के प्रासंगिक संशोधित आदेशों के अनुसार तथा पे–मैनेजर पर इस सम्बन्ध में संशोधित यूटीलिटी उपलब्ध कराए जाने पर तदनुसार ही बिल तैयार कर कोषालय में भिजवाने की कार्यवाही की जावे।

शेष शर्तें पूर्व में जारी किए गए बजट आवंटन परिपत्र अनुसार रहेगी।

संलग्न :– उपर्युक्तानुसार वित्त विभाग के परिपत्र

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / बजट / बी–4 / 25577 / 2020–21 दिनांक :–02.04.2020

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा विभाग, ...
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, ...
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर / अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
7. उप निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा।
8. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, ...
10. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
11. प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक, राजकीय मूक बधिर / अंध विद्यालय, ...
12. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन को आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
13. स्टाफ ऑफिसर निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
14. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा। 15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned with CamScanner

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/बजट/बी–4/25577/2020–21 दिनांक :–02.04.2020

समस्त आहरण वितरण अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा विभाग
....

विषय :– वर्ष 2020–21 के लिए विस्तृत मद 01–संवेतन में बजट प्रावधान आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– वित्त विभाग का परिपत्र
1. क्रमांक प.4(1)वित्त–1(1)आ–व्यय/2020 दिनांक 27.03.2020
2. क्रमांक प.3(1)वित्त–1(1)आ–व्यय/2004 पार्ट 1 दिनांक 27.03.2020 एवं
3. क्रमांक एफ.1(4)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2006 दिनांक 31.03.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश दिनांक 27.03.2020 के क्रम में विभाग को वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए IFMS पर बजट प्रावधान उपलब्ध करवाए जाने के पश्चात् विभाग के समस्त आहरण–वितरण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए विस्तृत मद 01–संवेतन में बजट का आवंटन उनकी IFMS ऑफिस आईडी पर Online उपलब्ध करवा दिया गया है। अतः सभी आहरण–वितरण अधिकारी IFMS पर उनको सम्बन्धित लेखामदों में आवंटन किए गए बजट के आधार पर अधिनस्थ शिक्षकों/कार्मिकों का माह मार्च, 2020 पेड अप्रैल, 2020 के वेतन बिल DDO के Digital Dongal (DSC) से तैयार कर वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेशों के अनुसार तैयार कर वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

1. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.03.2020 के द्वारा COVID-19 Lockdown के कारण माह मार्च, 2020 देय वेतन अप्रैल, 2020 के लिए राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन के कुछ हिस्से को स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके क्रम में –
   i. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सकल वेतन में से 60% Deferment किया जाना है जो कि 19 दिवस के वेतन तक होगा।
   ii. राज्य सेवा एवं अधिनस्थ सेवा के अधिकारियों के लिए सकल वेतन का 50%] जो कि 16 दिवस के वेतन के बराबर होगा, का Deferment किया जाना है।
   iii. अन्य कर्मचारियों के लिए Deferment सकल वेतन का 30%, जो कि 09 दिवस के वेतन के बराबर होगा, तक किया जाना है।
   iv. विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं ऐसे कर्मचारी जिनका वेतनमान पे–मैट्रिक L-1 से L-4 तक है उनके वेतन से कोई Deferment नहीं किया जाना है।
   v. माह मार्च, 2020 के वेतन बिल से अधिकारियों/कर्मचारियों के GPF एवं SI की कटौती नहीं की जानी है।
   vi. NPS की कटौती Deffered राशि के अनुसार ही की जानी है।
2. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.03.2020 के द्वारा जो अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कोविड–19 महामारी के परिदृश्य में आर्थिक सहायता के रूप में, जो मूल वेतन (Basic Salary) के जितने दिनों की कटौती की जानी है, वह की जाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष के लेखामद 8448–120–07–10 कोरोना वायरस (कोविड–19) में जमा कराया जाना सुनिश्चित करावे।

Scanned with CamScanner

3. वेतन बिल विगत महीनों में जिस प्रकार से तैयार किए गए थे उसी तरह से तैयार किए जाने हैं, जिस DDO के Digital Signature चालू हो गए हैं, वे Digital Signature वाले डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें और उसको पे–मैनेजर पर Authorisation Menu में जाकर अपलोड कर दें। इससे स्कैन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अथवा पूर्व की तरह ही बिल मुद्रण करें और उसके साथ अटैचमेन्ट लगाये, DDO के हस्ताक्षर करवाए और स्कैन करके पे–मैनेजर के Authorisation Menu में जाकर अपलोड कर दे।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा विभाग के नीचे लिखे लेखामदों के स्थान पर नए लेखामद खोले गए हैं, अतः मार्च, 2020 का वेतन नए लेखामद में आवंटित बजट से ही बनाए जाने है, जिसका विवरण नीचे लिखे अनुसार है :–

A. माध्यमिक शिक्षा के लेखामद जो परिवर्तित हुए हैं		
क्र.सं.	वर्ष 2019–20 में प्रचलित लेखामद	वर्ष 2020–21 में नया परिवर्तित लेखामद
1.	2202-02-109-(07)-(01)	2202-02-113-(01)-(01)
2.	2202-02-109-(07)-(02)	2202-02-113-(01)-(02)
3.	2202-02-109-(07)-(03)	2202-02-113-(01)-(03)
4.	2202-02-109-(05)-(00)	2202-02-113-(01)-(04)
5.	2202-03-103-(01)-(00)	2202-02-113-(02)-(01)
6.	2202-03-789-(02)-(00)	2202-02-113-(02)-(02)
7.	2202-03-796-(02)-(00)	2202-02-113-(02)-(03)
B. PEEO विद्यालयों के लिए लेखामद जो परिवर्तित हुए हैं		
8.	2202-01-111-(01)-(00)	2202-01-113-(01)-(01)
9.	2202-01-111-(02)-(00)	2202-01-113-(01)-(02)
10.	2202-01-111-(03)-(00)	2202-01-113-(01)-(03)

समस्त कार्यालयों/विद्यालयों को परिवर्तित लेखामदों के अनुसार ही वर्ष 2020–21 के लिए वेतन का बजट IFMS पर Online जारी कर दिया गया है। अतः अब उपर्युक्तानुसार नये लेखामदों में ही बजट का आहरण करना है। लेखामदों में स्वीकृत पद पुराने लेखामदों में ही शाला दर्पण के अनुसार ही आवंटित रहेंगे। नए लेखामदों में पदों का आवंटन राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जारी किया जाएगा।

अतः समस्त आहरण–वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवंटित बजट में से माह मार्च, 2020 का वेतन आहरण वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेशों की तथा उपर्युक्त अंकित दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए आहरण किया जावे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned with CamScanner

क्रमांक : शिविरा–माध्य / बजट / बी–4 / 25577 / 2020–21 दिनांक :–02.04.2020

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा विभाग, ...
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, ...
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर / अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
7. उप निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा।
8. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, ...
10. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
11. प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक, राजकीय मूक बधिर / अंध विद्यालय, ...
12. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन को आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
13. स्टाफ ऑफिसर निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
14. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned with CamScanner

URGENT
COVID-19

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (G&T) DEPARTMENT

No.F.1(4)FD/GF&AR/2006 Jaipur, dated : 02-04-2020

ORDER

Subject : **Deferment of partial salary of March paid April, 2020 - looking at economic slowdown due to COVID-19 LOCKDOWN.**

The Finance Department has issued Order No.F.1(4)FD/ GF&AR/ 2006 dated 31.3.2020 regarding deferment of partial salary of March paid April, 2020.

The point No. (iii) and (iv) of the above mentioned order are hereby substituted as under :-

"(iii) There shall be a deferment of 50% (16 days) in the gross salary of March, 2020 in respect of all State and Subordinate Services officers/employees drawing their salary above L-9 of pay matrix (in other words 'L-10 and above').

(iv) There shall be a deferment of 30% (9 days) in the gross salary of March, 2020 in respect of all other officers/employees (of any cadre/service/strength of Govt. of Rajasthan called by whichever name) drawing their salary from L-5 to L-9 of pay matrix.

Exception : The whole staff of Medical & Health and Medical Education Departments, Police Constables, Class-IV employees and all employees of Government drawing their salary in L-1 to L-4 of pay matrix shall be exempted from above salary deferment."

By Order,

(Niranjan Kumar Arya)

Copy forwarded for information and necessary action to the following:

1. Principal Accountant General (G&SSA/A&E) Rajasthan, Jaipur.
2. Principal Secretary to Hon'ble C.M. Rajasthan, Jaipur.
3. All Addl.C.S./Pr.Secretaries/ Secretaries, Rajasthan, Jaipur.
4. Sr.Dy.Secretary to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.
5. All Divisional Commissioners/Collectors.
6. All Heads of Departments & Financial Advisors.
7. Director, Treasury & Accounts, Rajasthan, Jaipur.
8. All Joint Secretaries of Finance Department.
9. All Treasury/Sub-Treasury Officers.
10. Technical Director, Finance Department to upload this order on website of the FD.

9/4/2020

(Vimal Kumar Gupta)
Joint Secretary to Govt.
Finance (G&T) Department

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(बजट अनुभाग)

क्रमांक प.3(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2004 पार्ट I

दिनांक : 02 अप्रैल, 2020

समस्त विभागाध्यक्ष
(जिला कलक्टर सहित)

विषयः– कोविड–19 महामारी के परिदृष्य में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आर्थिक सहायता।

संदर्भ :– विभागीय पत्रांक प.3 (1) वित्त–1(1) आ.व्य./2004/पार्ट–1 दिनांक 27.03.2020

महोदय,

इस विभाग के सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों के माह मार्च, 2020 देय अप्रेल, 2020 के मूल वेतन से कटौति किये जाने हेतु जारी किये गये निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

अधिकारी/कर्मचारी सेवा अनुरूप वर्गीकरण	**वेतन कटौति के लिए दिवस की संख्या**
राजस्थान अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी (राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के अन्तर्गत पे–लेवल 1 से 9 में वेतन आहरित कर रहे कर्मचारियों को छोड़कर)।	3 दिवस
राजस्थान अधीनस्थ सेवाओं के राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के अन्तर्गत पे–लेवल 5 से 9 में वेतन आहरित कर रहे अधिकारी/कर्मचारी एवं समस्त मंत्रालयिक सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी तथा वर्कचार्ज्ड कर्मचारी (पे–लेवल 1 से 4 को छोड़कर)।	2 दिवस
समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के अन्तर्गत पे–लेवल 1 से 4 तक में वेतन आहरित कर रहे समस्त कर्मचारी मय वर्कचार्ज्ड।	1 दिवस

शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,

2/4/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

(कृ.प.उ.)

क्रमांक प.3(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2004 पार्ट I   दिनांक : 02 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता तथा शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. उप शासन सचिव, राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।

निदेशक, वित्त (बजट)

URGENT
COVID-19

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (G&T) DEPARTMENT

No.F.1(4)FD/GF&AR/2006 Jaipur, dated : 31.3.2020

ORDER

Subject : **Deferment of partial salary and pension of March paid April, 2020 - looking at economic slowdown due to COVID-19 LOCKDOWN.**

At present, there is countrywide lockdown due to the threat of COVID-19 pandemic. Owing to negative economic impact caused by lockdown, fall in inflow of revenue and in the view of extra expenditure being incurred to control COVID-19, Government hereby orders for deferment of payment of the salary and pension of March, 2020 paid in April, 2020 including all allowances as per the following :

(i) There shall be a deferment of 75% (23 days) in the gross salary of March, 2020 in respect of Hon'ble CM, Hon'ble Speaker, Hon'ble Dy.CM, Hon'ble Ministers, Hon'ble Leader of Opposition, Hon'ble Chief Whip/Dy.Chief Whip/MLAs.

(ii) There shall be a deferment of 60% (19 days) in the gross salary of March, 2020 in respect of all All India Services officers viz. IAS, IPS, IFS.

(iii) There shall be a deferment of 50% (16 days) in the gross salary of March, 2020 in respect of all State and Subordinate Services Officers.

(iv) There shall be a deferment of 30% (9 days) in the gross salary of March, 2020 in respect of all other employees except Police Constables, Nursing Staff, Para-Medical Staff, Class-IV employees and all employees drawing salary in L-1 to L-4 of pay matrix.

(v) In respect of employees/officers of all PSUs/Government Boards/ Corporations/Societies/Autonomous Bodies/Local Bodies, their salary shall also be deferred as above.

(vi) The deductions of G.P.F. and S.I. for the month of March, 2020 shall be deferred.

(vii) Deductions related to COVID-19 CM Relief Fund will be applicable as prescribed vide Finance (Budget) Department order dated 27.03.2020.

(viii) There shall be a deferment of 30% (9 days) in the gross pension of March, 2020 in respect of all State Pensioners except Class-IV and L-1 to L-4 of pay matrix equivalent pensioners.

This order is applicable for the salary/pension of the month of March, 2020.

By Order,

(Niranjan Kumar Arya) 31.3.20
Addl.Chief Secretary to Government
Finance Department

Copy forwarded for information and necessary action to the following:

1. *Principal Accountant General (G&SSA/A&E) Rajasthan, Jaipur.*
2. *Principal Secretary to Hon'ble C.M. Rajasthan, Jaipur.*
3. *All Addl.C.S./Pr.Secretaries/ Secretaries, Rajasthan, Jaipur.*
4. *Sr.Dy.Secretary to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.*
5. *All Divisional Commissioners/Collectors.*
6. *All Heads of Departments & Financial Advisors.*
7. *Director, Treasury & Accounts, Rajasthan, Jaipur.*
8. *Director, Pension Department, Rajasthan, Jaipur.*
9. *All Joint Secretaries of Finance Department.*
10. *All Treasury/Sub-Treasury Officers.*
11. *Technical Director, Finance Department to upload this order on website of the FD.*

31/3

(Hemant Kumar Gera)
Secretary to Government
Finance (Budget) Department

(GF&AR - 2 /2020)